न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/207

घींसी बाई आयु 53 वर्ष पुत्री भूरया उर्फ भंवर लाल पत्नी मांगी लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बाजड (छपावदा) हाल निरवासी उंधालियों की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. बिसरी बाई पुत्री भूरया उर्फ भंवर लाल पत्नी सूरजमल जाति बैरवा निवासी लालपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. सूरज मल आत्मज सकरा जी जाति बैरवा निवासी ग्राम लालपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. सुशीला पुत्री भूरया उर्फ भंवर लाल पत्नी रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा (माटूण्दा) तहसील व जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज कल्याण जी जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा (माटूण्दा) तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसील साहब तालेडा जिला बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 22.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम बाजड तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 689/285 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 629/228 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 632/129 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 634/132 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 636/133 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.09.1997 को को वादिनी के पिता द्वारा विभाजन से पूर्व वादिनी के हक में कर दी थी जिस वसीयत में उक्त शामलाती आराजी का 1/3 हिस्सा वादिनी के नाम वसीयत कर दी थी । वर्तमान में उक्त आराजी का राजस्व

रिकॉर्ड में वादिनी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण कम 1 व 3 का हिस 1/4 , 1/4 दर्ज है । वादिनी उक्त भूमि में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत का खातेदारी अधिकार हिस्सा 1/2 के तहत उक्त सम्पूर्ण भूमि की एकमात्र मालिक है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी को स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाए तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाए ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादिनी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी कम 1व 3 का नाम रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर या उसके किसी भांग पर कब्जा करने की चेष्टा न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2016 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय से स्वर्गीय भूरया जी के स्थान पर खोला गया फौती नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय को आधार नहीं बनाया है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं हुआ है । स्वर्गीरू भूरया उर्फ भंवर लाल वादग्रसत भूमि का तन्हा खातेदार था और उसे वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था । अपीलान्ट वादिनी के पक्ष में दिनांक 25.09.1997 को स्वर्गीय भूरया ने वसीयतनामा पंजीकृत करवा दिया था जिसे साक्ष्य द्वारा न्यायालय में साबित किया गया है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर अधिकार घोषणा की डिक्री पारित नहीं करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त वसीयतनामा निरस्त किये जाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश तालेडा जिला बून्दी में वाद संख्या 48/2015 बिसरी बाई बनाम घींसी बाई वगै0 प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 16.03.2016 को विड्रो कर लिया गया है । पंजीकृत वसीयतनामे को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र व्यवहार न्यायालय को ही प्राप्त है । वादिनी की माता स्वर्गीय श्रीमती पाना बाई एवं प्रतिवादी श्रीमती बिसरी व सुशीला ने वादिनी घीसी बाई के पक्ष में पाना बाई द्वारा की गई रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.08.2006 को निरस्त करने का वाद संख्या 18/2008 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 21.05.2012 को खारिज कर दिया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह भी निवेदन किया था कि यदि उक्त भूमि पैतृक मानी जावे तो उनके पक्ष में उनकी माता मृतक श्रीमती पाना बाई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित की थी जिसके आधार पर भी वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी अपीलान्ट ने विरोधाभासी बयान करते हुए अपने पक्ष में दावा डिक्री करने का निवेदन किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.02.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी अपीलान्ट जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहती है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त वसीयतनामा निरस्त किये जाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश तालेडा जिला बून्दी में वाद संख्या 48/2015 बिसरी बाई बनाम घींसी बाई वगै0 प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 16.03.2016 को विड्रो कर लिया गया है । पंजीकृत वसीयतनामे को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र व्यवहार न्यायालय को ही प्राप्त है । वादिनी की माता स्वर्गीय श्रीमती पाना बाई एवं प्रतिवादी श्रीमती बिसरी व सुशीला ने वादिनी घीसी बाई के पक्ष में पाना बाई द्वारा की गई रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.08.2006 को निरस्त करने का वाद संख्या 18/2008 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 21.05.2012 को खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पैरा नम्बर 09 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा